एसडीएम कोर्ट इटावा नम्बर देवेन्द्र आदि बनाम सरकार
निर्णय दि० 14/02/25 मय डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर इटावा जिला कोटा राज०

पीठासीन अधिकारी – रामनिवास मेहता आर०ए०एस०

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
6 / 2024	31 / 01 / 2024	14 / 2/ 2025

1. देवेन्द्र कुमार नागर पुत्र श्री गोबरीलाल नागर
2. गोविन्द नागर पुत्र श्री गोबरीलाल नागर
3. नरेशबाई पत्नी स्व. गोबरीलाल जातियान धाकड निवासीगण अयाना तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज०

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पीपल्दा तह० पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान
2. जगदीश पुत्र श्री रामचन्द्र जाति धाकड
3. देवीशंकर पुत्र श्री रामचन्द्र जाति धाकड
4. धन्नी पत्नी स्व. रामचन्द्र
5. रोशन पुत्र रामचन्द्र जातियान धाकड निवासीगण अयाना तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज०

प्रतिवादीगण

वाद अर्न्तगत धारा 88,89

निर्णय दिनांकः– 14/02/2025

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम अयाना पटवार हल्का अयाना भू: अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र अयाना तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज० की जमाबंदी सम्वत् 2074 से 2077 की खाता संख्या नया 262 पुराना 250 मे खसरा संख्या 136 की रकबा 2.28 हैक्टेयर, कुल किता 1 कुल रकबा 2.28 हैक्टेयर भूमि स्थित है। जिसे वाद पत्र आगे विवादित आराजी सम्बोधित से किया गया है। यह कि विवादित आराजी वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 2 ता 5 के संयुक्त खाते की आराजी है जिसमे वादीगण का 1 / 15–1 / 15 एंव प्रतिवादी क्रम 2 ता 5 का 1 / 5–1 / 5 हिस्सा निहित है। जो कि विवादित आराजी के राजस्व रिकॉर्ड मे वादीगण क्रम 01 ता 02 के पिता व वादीक्रम 03 के पति का नाम पप्पू दर्ज है। जबकी वादीगण के पिता का वास्तविक नाम गोबरीलाल है। जो आधार कार्ड तथा भामाशाह कार्ड, जनआधार कार्ड मे इसी अनुरूप दर्ज है। किन्तु प्रतिवादी क्रम 01 द्वारा बिना किसी आधार व अधिकार के त्रूटिपूर्वक वादीगण के पिता व पति का नाम गोबरीलाल के स्थान पर पप्पू राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज कर दिया जिससे प्रशासनिक व राजस्व रिकॉर्ड मे दो भिन्न–भिन्न नाम वादीगण के पिता व पति के हो गये है। यह कि वादीगण के पिता व पति के भिन्न–भिन्न नाम होने से कृषि सुधार व भिन्न भिन्न कल्याणकारी योजनाये के.सी. सी, सहकारी फसली ऋण, प्रधानमन्त्री फसल योंलना व सम्मान निधि आदि कल्याणकारी योजनायो मे काफी समस्याओ का सामना करना पड रहा है जबकी प्रतिवादी क्रम 1 को वादीगण के पिता व पति का नाम त्रूटिपूर्वक गोबरीलाल के स्थान पर पप्पू दर्ज करने का कोई अधिकार नही था इस कारण वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि विवादित आराजी मे उपरोक्त त्रूटि को दुरूस्त करवाकर अपने बोल चाल के नाम पप्पू के स्थान पर गोबरीलाल दर्ज करवाने तथा उनके वास्तविक नाम (

सत्य प्रतिलिपि
सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

सहायक कलक्टर
इटावा जि० कोटा (राज०)

गोबरीलाल) के अनुसार खातेदारी की घोषणा करवाने का अधिकार प्राप्त है। यह कि प्रतिवादी क्रम 2 ता 5 को सहखातेदार होने के कारण तथा प्रतिवादी क्रम 1 को आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाये गये है उनके विरूद्व वाद में कोई अनुतोष नही चाहा गया है। यह कि वादीगण के पिता व पति का नाम गोबरीलाल के स्थान पर पप्पू कर देने से काफी समस्या का सामना करना पड रहा है। तथा वादीगण ने प्रतिवादी क्रम 1 से कई बार राजस्व रिकॉर्ड की उक्त त्रूटि को दुरूस्त करने बाबत् निवेदन किया तो उन्होने ने साफ इन्कार कर दिया । यह कि वाद पत्र की मद नम्बर 01 में वर्णित राजस्व रिकॉर्ड मे वादीक्रम 01 व 02 का नाम नाबालिक दर्ज है जबकी वादीक्रम 01 व 02 बालिग हो चुके हे इसलिये राजस्व रिकॉर्ड मे वादीक्रम 01 व 02 का नाम बालिक दर्ज किया जावें। यह कि वाद पत्र की मद नम्बर 1 में वर्णित कृषि भूमि ग्राम अयाना पटवार हल्का अयाना भू: अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र अयाना तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज० की जमाबंदी सम्वत् 2074 से 2077 की खाता संख्या नया 262 पुराना 250 मे खसरा संख्या 136 की रकबा 2.28 हैक्टेयर, कुल किता 1 कुल रकबा 2.28 हैक्टेयर स्थित भूमि मे राजस्व रिकॉर्ड मे प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा की गई त्रुटि को दुरूस्त कर वादीगण के पिता व पति पप्पू के स्थान पर गोबरीलाल दर्ज किया जावें इसी अनुरूप राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद किया जावें। यह कि राजस्व रिकॉर्ड मे वादीक्रम 01 व 02 का नाम बालिक दर्ज किया जावें। इसी अनुरूप अमल दरामद किया जावें।

वादी की ओर से वाद श्री लेखराज धाकड़ एड0 ने पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। वाद दर्ज रजि0 किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादीक्रम 2 ता 5 की ओर से श्री इन्द्रजीत मीणा एड0 ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादीक्रम 2 ता 5 की ओर से जवाब पेश है जो शामिल पत्रावली है। जवाब सरकार पेश है। जो शामिल पत्रावली है। पत्रावली वास्ते बहस हेतु नियत की गई।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, पहचान पत्र, भामाशाह, राशन कार्ड आदि में वादी के पिता का नाम गोबरीलाल दर्ज है। जवाब सरकार में पटवारी हलका रिपोर्ट के अनुसार नाबा0 पुत्रों के पिता का नाम पप्पू व गोबरीलाल एक ही व्यक्ति के दो नाम होना बताया जिसकी पुष्ठि संलग्न दस्तावेजात आधार कार्ड भामाशाह कार्ड अंकतालिकाओं से होना पाया जाता है। अतः नाबा0 पुत्रों गोविन्द, देवेन्द्र एवं नरेशबाई पत्नि के क्रमशः पिता एवं पति का नाम पप्पू उर्फ गोबरीलाल दर्ज किया जाना उचित है। अतः प्रतिवादीक्रम 1 को आदेश दिया जाता है कि ग्राम अयाना पटवार हल्का अयाना भू: अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र अयाना तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज० की जमाबंदी सम्वत् 2074 से 2077 की खाता संख्या नया 262 पुराना 250 मे खसरा संख्या 136 की रकबा 2.28 हैक्टेयर, कुल किता 1 कुल रकबा 2.28 हैक्टेयर स्थित भूमि मे राजस्व रिकॉर्ड मे प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा की गई त्रुटि को दुरूस्त कर वादीगण के पिता व पति पप्पू के स्थान पर पप्पू उर्फ गोबरीलाल राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद किया जावें तथा राजस्व रिकॉर्ड मे वादीक्रम 01 व 02 का नाम बालिक दर्ज किया जावें। इसी अनुरूप अमल दरामद किया जावें। तद्नुसार डिक्री जारी की जावे।

निर्णय आज दिनांक 15/2/25 खुले न्यायालय सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
इटावा ज़िला कोटा

सत्य प्रतिलिपि

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

न्यायालय सहायक कलक्टर इटावा जिला कोटा राज०

डिक्री मुकदमा इब्ताई

(आ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी– रामनिवास मेहता आर0ए0एस0

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
6/2024	31/01/2024	14/02/2025

1. देवेन्द्र कुमार नागर पुत्र श्री गोबरीलाल नागर
2. गोविन्द नागर पुत्र श्री गोबरीलाल नागर
3. नरेशबाई पत्नी स्व. गोबरीलाल जातियान धाकड निवासीगण अयाना तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज०

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पीपल्दा तह० पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान
2. जगदीश पुत्र श्री रामचन्द्र जाति धाकड
3. देवीशंकर पुत्र श्री रामचन्द्र जाति धाकड
4. धन्नी पत्नी स्व. रामचन्द्र
5. रोशन पुत्र रामचन्द्र जातियान धाकड निवासीगण अयाना तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज०

प्रतिवादीगण

वाद अर्न्तगत धारा 88, 89 आर0टी0एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री लेखराज धाकड एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रूबरू................. मिनजानिब मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर वाके माल ग्राम अयाना पटवार हल्का अयाना भू: अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र अयाना तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज० की जमाबंदी सम्वत् 2074 से 2077 की खाता संख्या नया 262 पुराना 250 मे खसरा संख्या 136 की रकबा 2.28 हैक्टेयर, कुल किता 1 कुल रकबा 2.28 हैक्टेयर स्थित भूमि मे राजस्व रिकॉर्ड मे प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा की गई त्रुटि को दुरूस्त कर वादीगण के पिता व पति पप्पू के स्थान पर पप्पू उर्फ गोबरीलाल राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद किया जावें तथा राजस्व रिकॉर्ड मे वादीक्रम 01 व 02 का नाम बालिक दर्ज किया जावें। इसी अनुरूप अमल दरामद किया जावें। तदनुसार डिक्री जारी की जाती है।

डिक्री मेरे दस्खत व मोहर से आज दिनांक 14/2/25...... को जारी किया गया।

निर्णय खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा	स्टाम्प अर्जी दावा

सत्य प्रतिलिपि

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

Ramniwas
सहायक कलक्टर
इटावा जि० कोटा (राज०)

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
मेहनताना वकील			मेहनताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

Raminwaz
सहायक कलक्टर
इटावा जिला कोटा (राज0)
सहायक कलक्टर
इटावा जि0 कोटा

सत्य प्रतिलिपि
सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा